भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2853

17 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सरकारी तथा निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में रिक्त पीजी मेडिकल सीटें

2853. श्रीमती राजाथी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस शैक्षणिक वर्ष के नीट (एनईईटी) पीजी परीक्षा के बाद पूरे भारत में सरकारी तथा निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में कितनी पीजी मेडिकल सीटें रिक्त पड़ी हैं;

(ख) इन रिक्त सीटों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार नीट (एनईईटी) परीक्षा, जो बहिष्करणकारी प्रकृति की है और परिकल्पित उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती है, को समाप्त करने पर विचार कर रही?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) की चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित योजना के अनुसार स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए परामर्श आयोजित करती है। एमसीसी द्वारा आयोजित नीट पीजी परामर्श में अखिल भारतीय कोटा की 50% सीटें और देश भर के केंद्रीय/मानित विश्वविद्यालयों की 100% सीटें शामिल होती हैं। राज्य कोटा पीजी सीटों के लिए परामर्श संबंधित राज्य सरकारों द्वारा आयोजित किया जाता है और निजी मेडिकल कॉलेजों के लिए परामर्श राज्य परामर्श प्राधिकरणों के दायरे में आता है। वर्ष 2025 के स्ट्रे राउंड के बाद, कुल 1140 सीटें रिक्त रह गईं।

सरकार ने पीजी काउंसलिंग 2025 के लिए पात्रता के योग्यता प्रतिशत को कम कर दिया है ताकि मूल्यवान पीजी मेडिकल सीटें रिक्त न रहें। नीट पीजी 2025 के लिए संशोधित योग्यता प्रतिशत इस प्रकार हैं:

पात्रता 7 प्रतिशत से ऊपर तक सीमित कर दी गई ¯यूआर श्रेणी

पात्रता 5 प्रतिशत से ऊपर तक सीमित कर दी गई ¯पीडब यडी) श्रेणी)दिव्यांग ¯यूआर

सभी उम्मीदवार एससी/एसटी/ओबीसी) श्रेणियां)अन्य पिछड़ा वर्ग /अनुसूचित जनजाति /अनुसूचित जाति योग्य घोषित किए गए

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) अधिनियम, 2019 की धारा 14 देश के सभी चिकित्सा संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) को एक सामान्य/समान प्रवेश परीक्षा के रूप में आयोजित करने का प्रावधान करती है। नीट एक ऐतिहासिक सुधार है जो मेधावी छात्रों को देश के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा संस्थानों में प्रवेश पाने का अवसर प्रदान करता है। इसके परिणामस्वरूप अधिक पारदर्शिता आई है और भावी उम्मीदवारों पर कई प्रवेश परीक्षाओं में बैठने का भार कम हो गया है।

*****